

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 446]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 23 सितम्बर 2013—आश्विन 1, शक 1935

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2013

अधिसूचना क्र. 64-एफ-1-32-2011-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित नगर परिषद् में उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो, तक एल्डरमेन के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है :—

जिले का नाम (1)	नगरपालिका परिषद् का नाम (2)	क्र. (3)	एल्डरमेन का नाम एवं पता (4)
छिंदवाड़ा	सौंसर	1.	श्री संजय कोठेकर पिता श्री मधुकर कोठेकर, वार्ड क्रं. 6, सौंसर.
		2.	श्री सतीश सूर्यवंशी पिता श्री प्रेमलाल सूर्यवंशी, वार्ड क्रं. 15, सौंसर.
		3.	श्री जकाउल्ला पिता श्री हबीबुल्ला, वार्ड क्रं. 13, सौंसर.
		4.	श्रीमति उषा भमोरे पति श्री नारायण भमोरे, वार्ड क्रं. 15, सौंसर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.